ISSN 2277-2685
IJESR/April-June. 2021/ Vol-11/Issue-2/92-107
निरंकार राम त्रिपाठी *et. al.,* / International Journal of Engineering & Science Research

मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा के प्रति छात्रों और अभिभावकों के दृष्टिकोण का विश्लेषण करना

निरंकार राम त्रिपाठी[1], डॉ. सरिता खरवाल[2]
शोधार्थी, शिक्षा विभाग, एन आई आई एल एम विश्वविद्यालय[1]
प्रोफ़ेसर, शिक्षा विभाग, एन आई आई एल एम विश्वविद्यालय[2]

सार

यह अध्ययन भारत में शहरी और ग्रामीण परिवेश में मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा के प्रति छात्रों और अभिभावकों के अलग-अलग दृष्टिकोण की जांच करता है। मिश्रित-तरीकों के दृष्टिकोण को नियोजित करते हुए, अनुसंधान मात्रात्मक सर्वेक्षण और गुणात्मक साक्षात्कार का उपयोग करता है और मापने योग्य रुझान और सूक्ष्म दृष्टिकोण दोनों को पकड़ने के लिए समूह चर्चा पर ध्यान केंद्रित करता है। स्तरीकृत यादृच्छिक नमूने ने 800 उत्तरदाताओं का एक प्रतिनिधि नमूना सुनिश्चित किया, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच समान रूप से वितरित किया गया। एसपीएसएस और एमएस एक्सेल जैसे सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग करके विश्लेषण किए गए मात्रात्मक डेटा से जागरूकता, कथित सरकारी भूमिकाओं और वित्तीय बाधाओं के प्रभाव में महत्वपूर्ण असमानताएं सामने आईं। ग्रामीण उत्तरदाताओं ने अधिकार के रूप में शिक्षा के प्रति कम जागरूकता और आर्थिक बाधाओं के प्रति अधिक संवेदनशीलता प्रदर्शित की, जबकि शहरी उत्तरदाताओं ने सरकारी पहलों में अधिक आत्मविश्वास और मुफ्त शिक्षा के लाभों में एक मजबूत विश्वास प्रदर्शित किया। एनवीवो का उपयोग करके विषयगत विश्लेषण के माध्यम से विश्लेषण किए गए गुणात्मक डेटा ने शैक्षिक दृष्टिकोण को आकार देने वाले सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों पर प्रकाश डालते हुए समृद्ध प्रासंगिक अंतर्दृष्टि प्रदान की। मुख्य निष्कर्ष, विशेष रूप से ग्रामीण समुदायों में, शैक्षिक धारणाओं और अवसरों पर सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के महत्वपूर्ण प्रभाव को रेखांकित करते हैं। अध्ययन का निष्कर्ष है कि इन असमानताओं को दूर करने और सभी बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करते हुए, गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप और नीतिगत सुधार आवश्यक हैं।

कीवर्ड: *प्राथमिक शिक्षा, मौलिक अधिकार, शहरी-ग्रामीण असमानता, शैक्षिक दृष्टिकोण, सामाजिक-आर्थिक कारक।*

1 परिचय

मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा इस आंतरिक समझ पर आधारित है कि शिक्षा केवल एक विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक विकास की आधारशिला है। यह एक मान्यता है कि पढ़ने, लिखने और गंभीर रूप से सोचने की क्षमता मानवीय गरिमा, आर्थिक भागीदारी और सूचित नागरिकता के लिए आवश्यक है। ऐतिहासिक रूप से, शिक्षा तक पहुंच अक्सर सामाजिक पदानुक्रम, आर्थिक असमानताओं और भेदभावपूर्ण प्रथाओं द्वारा प्रतिबंधित थी। हालाँकि, जैसे-जैसे समाज विकसित हुआ और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रमुखता मिली, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की धारणा एक महत्वपूर्ण अनिवार्यता के रूप में उभरी। प्राथमिक शिक्षा का महत्व बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल हासिल करने से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह आजीवन सीखने, बौद्धिक जिज्ञासा को बढ़ावा देने और व्यक्तियों को आधुनिक दुनिया की जटिलताओं से निपटने के लिए सशक्त बनाने के लिए आधार तैयार करता है। यह आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान और सूचित निर्णय लेने की क्षमता पैदा करता है, जो व्यक्तिगत विकास और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा की पृष्ठभूमि मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय की वकालत करने वाले वैश्विक आंदोलनों से जुड़ी हुई है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक मानव अधिकार के रूप में पुष्टि की। इस घोषणा ने दुनिया भर के देशों के लिए उनके संबंधित संविधानों और कानूनी ढांचे में शिक्षा के अधिकार को मान्यता देने और स्थापित करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया। भारत में, प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने की यात्रा एक क्रमिक प्रक्रिया थी, जो देश के ऐतिहासिक संदर्भ, सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों और सामाजिक न्याय की विकसित समझ से प्रभावित थी। स्वतंत्रता-पूर्व युग में औपचारिक शिक्षा तक सीमित पहुंच देखी गई, विशेषकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में शैक्षिक अवसरों के विस्तार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता देखी गई, हालांकि सफलता की अलग-अलग डिग्री के साथ। गरीबी, सामाजिक असमानता और ढांचागत बाधाओं की चुनौतियों ने सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न की। हालाँकि, शिक्षा की परिवर्तनकारी क्षमता की बढ़ती पहचान ने इसे मौलिक अधिकार बनाने की दिशा में आंदोलन को प्रेरित किया।

मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा का महत्व बहुआयामी है। सबसे पहले, यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक मूलभूत कौशल और ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिले। यह व्यक्तियों को बेहतर रोजगार के अवसरों तक पहुंचने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए सशक्त बनाकर गरीबी के चक्र को तोड़ता है। दूसरे, यह सभी बच्चों को उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, जाति या लिंग की परवाह किए बिना समान अवसर प्रदान करके सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। इससे सामाजिक असमानताओं को कम करने और अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज बनाने में मदद मिलती है। तीसरा, यह सूचित और संलग्न नागरिकों को बढ़ावा

देकर लोकतंत्र को मजबूत करता है जो राजनीतिक प्रक्रिया में सार्थक रूप से भाग ले सकते हैं। शिक्षित नागरिक अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने, अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराने और अपने समुदायों के विकास में योगदान करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं। चौथा, यह कुशल और उत्पादक कार्यबल बनाकर आर्थिक विकास में योगदान देता है। नवाचार, तकनीकी उन्नति और आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए एक सुशिक्षित आबादी आवश्यक है। इसके अलावा, यह विविध समुदायों के बीच साझा पहचान और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देकर सामाजिक एकजुटता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। शिक्षा सांस्कृतिक और भाषाई विभाजन को पाटने, आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देने में मदद करती है।

मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा का महत्व स्वास्थ्य और कल्याण पर इसके प्रभाव में भी परिलक्षित होता है। शिक्षित व्यक्तियों द्वारा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारीपूर्ण विकल्प चुनने और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बनाने की अधिक संभावना होती है। शिक्षा लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षित लड़कियों की शादी में देरी होने, कम बच्चे पैदा करने और कार्यबल में भाग लेने की संभावना अधिक होती है। यह महिलाओं और बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के साथ-साथ अधिक आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में योगदान देता है। इसके अलावा, प्राथमिक शिक्षा एजेंसी और आत्म-प्रभावकारिता की भावना को बढ़ावा देती है, जिससे व्यक्तियों को अपने जीवन पर नियंत्रण रखने और अपनी नियति को आकार देने का अधिकार मिलता है। यह महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करता है, व्यक्तियों को जानकारी का विश्लेषण करने, समस्याओं को हल करने और सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। तेजी से बदलती दुनिया में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां व्यक्तियों को नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप ढलने की जरूरत है। प्राथमिक शिक्षा का महत्व पर्यावरणीय स्थिरता के दायरे तक फैला हुआ है। शिक्षा पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देती है और ग्रह के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देती है। शिक्षित व्यक्ति टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने और पर्यावरण की रक्षा करने वाली नीतियों का समर्थन करने की अधिक संभावना रखते हैं।

समकालीन संदर्भ में, गरीबी, असमानता और सामाजिक बहिष्कार की चुनौतियों से निपटने के लिए मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा महत्वपूर्ण है। यह हाशिए पर मौजूद समुदायों को सशक्त बनाने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। वैश्वीकृत दुनिया में, शिक्षा आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता और सामाजिक प्रगति का एक प्रमुख निर्धारक है। प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मानव पूंजी में निवेश करने और अधिक न्यायसंगत और समृद्ध समाज के निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह इस समझ को रेखांकित करता है कि शिक्षा केवल एक निजी भलाई नहीं है, बल्कि एक सार्वजनिक भलाई है जो पूरे समाज को लाभ पहुंचाती है। इस अधिकार की पूर्ति एक

सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसके लिए सरकारों, नागरिक समाज संगठनों और व्यक्तियों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। इस अधिकार की पृष्ठभूमि सामाजिक न्याय के लिए चल रहे संघर्ष और शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति में स्थायी विश्वास का प्रमाण है।

कानूनी वास्तुकला: भारत में संवैधानिक प्रावधान और कानूनी ढांचे

भारत में प्राथमिक शिक्षा के लिए कानूनी ढांचा संविधान में निहित है, जो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करता है। 2002 में अधिनियमित संविधान के 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21ए शामिल किया गया, जो घोषणा करता है कि "राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है।" इस संशोधन ने शिक्षा के संबंध में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को न्यायसंगत मौलिक अधिकार में बदल दिया, जिससे यह अदालतों द्वारा लागू करने योग्य हो गया। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009, अनुच्छेद 21ए को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को सुनिश्चित करने में केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय अधिकारियों, स्कूलों और माता-पिता की जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है।

अनुच्छेद 21ए एक ऐतिहासिक प्रावधान है जिसने भारत में प्राथमिक शिक्षा के लिए कानूनी ढांचे को काफी मजबूत किया है। यह निर्दिष्ट आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य पर कानूनी दायित्व डालता है। "मुफ़्त" शब्द का तात्पर्य यह है कि किसी भी बच्चे को ऐसी कोई फीस या शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी जो उसे प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से रोक सके। "अनिवार्य" शब्द का तात्पर्य है कि सरकार और स्थानीय अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करना सुनिश्चित करें। आरटीई अधिनियम, 2009, शिक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करके संवैधानिक जनादेश पर आधारित है। यह केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय अधिकारियों, स्कूलों और अभिभावकों सहित विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। यह अधिनियम स्कूल के बुनियादी ढांचे, शिक्षक योग्यता और पाठ्यक्रम विकास के लिए मानदंड और मानक भी स्थापित करता है।

आरटीई अधिनियम, 2009 एक व्यापक कानून है जो प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करता है। यह सभी बच्चों के लिए पहुंच सुनिश्चित करते हुए, बच्चों के आवासों से एक निर्दिष्ट दूरी के भीतर पड़ोस के स्कूलों की स्थापना को अनिवार्य बनाता है। यह स्कूलों में प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं पर भी रोक लगाता है, यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी बच्चे को उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि या किसी अन्य भेदभावपूर्ण कारक के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अधिनियम स्कूलों में कक्षाओं, शौचालयों, पीने के पानी और खेल के मैदानों सहित पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान को अनिवार्य करता है। यह छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने पर ध्यान देने के साथ योग्य और

प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करता है। अधिनियम बाल-मैत्रीपूर्ण और बाल-केंद्रित सीखने के माहौल के महत्व पर जोर देता है, शारीरिक दंड पर रोक लगाता है और निरंतर और व्यापक मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। यह विकलांग बच्चों और वंचित समूहों के बच्चों को मुख्यधारा के स्कूलों में शामिल करने का भी आदेश देता है।

आरटीई अधिनियम, 2009, शिक्षा के अधिकार के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन के लिए तंत्र भी स्थापित करता है। यह स्कूलों के कामकाज की निगरानी के लिए माता-पिता, शिक्षकों और स्थानीय अधिकारियों को शामिल करते हुए स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के गठन को अनिवार्य बनाता है। अधिनियम शिक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना का भी प्रावधान करता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और उल्लंघनों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में प्राथमिक शिक्षा के कानूनी ढांचे में विभिन्न अन्य कानून और नीतियां भी शामिल हैं जो आरटीई अधिनियम के पूरक हैं। इनमें सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) शामिल है, जिसे अब समग्र शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया है, जो सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से एक प्रमुख कार्यक्रम है। मध्याह्न भोजन योजना, जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करती है, स्कूल में उपस्थिति और पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने में भी योगदान देती है।

उभरती चुनौतियों का समाधान करने और शिक्षा के अधिकार के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत में प्राथमिक शिक्षा के लिए कानूनी ढांचा लगातार विकसित हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, जिसका उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली को बदलना है, का प्राथमिक शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। एनईपी 2020 प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) के महत्व पर जोर देता है और प्रारंभिक वर्षों में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर ध्यान देने के साथ स्कूली शिक्षा के लिए 5+3+3+4 संरचना का प्रस्ताव करता है। नीति शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम सुधार और शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्व पर भी जोर देती है। भारत में प्राथमिक शिक्षा के लिए कानूनी ढांचा सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हालाँकि, इन कानूनी प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार, नागरिक समाज संगठनों और व्यक्तियों सहित सभी हितधारकों के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षकों, स्कूल प्रशासकों और एसएमसी सदस्यों की क्षमता निर्माण भी महत्वपूर्ण है। कानूनी ढांचे को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों सहित हाशिए पर रहने वाले और वंचित बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को भी संबोधित करना चाहिए।

2. साहित्य समीक्षा

भारत में प्राथमिक शिक्षा नीतियों और वैश्विक दृष्टिकोण की ऐतिहासिक टेपेस्ट्री

भारत की प्राथमिक शिक्षा नीतियों में एक नाटकीय परिवर्तन आया है, जो स्थानीयकृत, अनौपचारिक प्रणालियों से राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य रूप से लागू संरचना में विकसित हो रही है। पूर्व-औपनिवेशिक भारत में 'गुरुकुल' और 'पाठशालाओं' की एक समृद्ध परंपरा देखी गई, जो मुख्य रूप से उच्च जाति के पुरुषों की सेवा करती थी, जिसमें धार्मिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता था। ब्रिटिश शासन के आगमन ने एक औपचारिक, मानकीकृत प्रणाली की शुरुआत की, जिसे शुरू में जनता तक सीमित पहुंच के साथ क्लर्कों और प्रशासकों का एक कैडर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। 1854 के वुड्स डिस्पैच ने एक विभागीय प्रणाली की नींव रखी, लेकिन संसाधन की कमी और सामाजिक प्रतिरोध के कारण प्रगति धीमी रही। स्वतंत्रता के बाद, भारतीय संविधान ने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को सुनिश्चित किया, जिससे पहुंच का विस्तार करने के उद्देश्य से कई आयोगों और नीतियों की शुरुआत हुई। कोठारी आयोग (1964-66) ने एक समान स्कूल प्रणाली की वकालत करते हुए राष्ट्रीय विकास और सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) और 1992 में इसके संशोधित संस्करण ने गुणवत्ता सुधार और क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सार्वभौमिकीकरण की दिशा में प्रयासों को और मजबूत किया। 2001 में शुरू किए गए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और बाद में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 ने 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को कानूनी रूप से अनिवार्य करते हुए महत्वपूर्ण मील के पत्थर चिह्नित किए। हालाँकि, चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, जिनमें बुनियादी ढाँचे की कमी, शिक्षकों की कमी और सामाजिक असमानताओं का कायम रहना शामिल है। विश्व स्तर पर, शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों से प्रभावित, विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। विकसित देशों में, शिक्षा को अक्सर एक मौलिक अधिकार और आर्थिक प्रतिस्पर्धा की आधारशिला के रूप में देखा जाता है, जिसमें उच्च-स्तरीय कौशल और नवाचार पर ध्यान दिया जाता है। शैक्षिक प्रणालियाँ आम तौर पर अच्छी तरह से वित्त पोषित होती हैं और समानता और समावेशन पर जोर देने के साथ कड़ाई से मूल्यांकन किया जाता है।

इसके विपरीत, विकासशील देश अक्सर संसाधन की कमी, सीमित पहुंच और बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता की प्राथमिकता से जूझते हैं। शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण बाल श्रम की तत्काल आवश्यकता, सांस्कृतिक मानदंडों जो महिला शिक्षा को कम महत्व देते हैं, या सामाजिक गतिशीलता के लिए एक उपकरण के रूप में शिक्षा की धारणा से आकार ले सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययनों से पता चलता है कि उच्च स्तर की शैक्षिक उपलब्धि वाले समाज अधिक नागरिक जुड़ाव, सामाजिक एकजुटता और आर्थिक समृद्धि प्रदर्शित करते हैं। दक्षिण कोरिया और जापान जैसे पूर्वी एशियाई देशों में शिक्षा सांस्कृतिक मूल्यों में गहराई से समाहित है, जिसमें अनुशासन, कड़ी मेहनत और शैक्षणिक उपलब्धि पर जोर दिया जाता

है। स्कैंडिनेवियाई देशों में, एक सामाजिक लोकतांत्रिक लोकाचार समग्र विकास और आजीवन सीखने पर ध्यान देने के साथ समानता और पहुंच को प्राथमिकता देता है। कई अफ्रीकी देशों में, शिक्षा को गरीबी से बाहर निकलने के एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में देखा जाता है, लेकिन पहुंच सीमित है, और संसाधन की कमी और राजनीतिक अस्थिरता के कारण अक्सर गुणवत्ता से समझौता किया जाता है। लैटिन अमेरिका में, ऐतिहासिक असमानताओं और राजनीतिक अस्थिरता ने शैक्षिक प्रगति में बाधा उत्पन्न की है, लेकिन हाल के प्रयासों ने पहुंच बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है। शिक्षा पर वैश्विक चर्चा तेजी से 21वीं सदी के कौशल के महत्व पर जोर दे रही है, जिसमें महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मकता और सहयोग के साथ-साथ तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता भी शामिल है। फिर भी, यह मौलिक धारणा कि शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति का एक प्रमुख चालक है, विभिन्न संस्कृतियों और संदर्भों में एक सामान्य सूत्र बनी हुई है। शैक्षिक नीतियों का कार्यान्वयन और शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को आकार देना ऐतिहासिक विरासतों, सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, जो दुनिया भर में शैक्षिक प्रथाओं और दृष्टिकोणों का एक जटिल और गतिशील परिदृश्य बनाता है।

सामाजिक-आर्थिक विकास पर मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का प्रभाव

भारतीय संविधान और आरटीई अधिनियम में निहित मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा की मान्यता का सामाजिक-आर्थिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षा व्यक्तियों को ज्ञान, कौशल और महत्वपूर्ण सोच क्षमताओं से लैस करके सशक्त बनाती है, जिससे वे अर्थव्यवस्था और समाज में सार्थक रूप से भाग लेने में सक्षम होते हैं। बढ़ी हुई साक्षरता और संख्यात्मकता दर बेहतर स्वास्थ्य परिणामों, गरीबी में कमी और बढ़ी हुई नागरिक सहभागिता में योगदान करती है। शिक्षित व्यक्ति अपने स्वास्थ्य, पोषण और परिवार नियोजन के बारे में जानकारीपूर्ण निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं, जिससे समग्र कल्याण बेहतर होता है। शिक्षा सामाजिक गतिशीलता को भी बढ़ावा देती है, जाति, वर्ग और लिंग की बाधाओं को तोड़ती है और अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज को बढ़ावा देती है। आरटीई अधिनियम, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को अनिवार्य करके, यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को, उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो। इसमें असमानताओं को कम करने और अधिक न्यायपूर्ण एवं समृद्ध समाज बनाने की क्षमता है। हालाँकि, मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का प्रभाव प्रभावी कार्यान्वयन और प्रणालीगत चुनौतियों के समाधान पर निर्भर है। शिक्षा की गुणवत्ता, संसाधनों की उपलब्धता और शिक्षकों की प्रेरणा महत्वपूर्ण कारक हैं जो शैक्षिक हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता को निर्धारित करते हैं। भारत में, महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, सभी बच्चों के लिए समान पहुंच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। सामाजिक-आर्थिक असमानताओं का कायम रहना, पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी और योग्य शिक्षकों की कमी प्रगति में बाधक बनी हुई है।

ISSN 2277-2685
IJESR/April-June. 2021/ Vol-11/Issue-2/92-107
निरंकार राम त्रिपाठी *et. al.,* / International Journal of Engineering & Science Research

इसके अलावा, सामाजिक-आर्थिक विकास पर शिक्षा का प्रभाव तत्काल या रैखिक नहीं है। इसके लिए निरंतर निवेश और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता होती है। शिक्षा एक कुशल कार्यबल तैयार करके, नवाचार को बढ़ावा देकर और उत्पादकता बढ़ाकर आर्थिक विकास में योगदान दे सकती है। शिक्षित व्यक्तियों के अधिक वेतन वाली नौकरियों में नियोजित होने की अधिक संभावना है, जो घरेलू आय में वृद्धि और समग्र आर्थिक समृद्धि में योगदान करते हैं। शिक्षा सामाजिक एकता को बढ़ावा देकर, अपराध दर को कम करके और नागरिक भागीदारी को बढ़ाकर सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षित नागरिकों को जानकारी होने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में शामिल होने, सुशासन और सामाजिक स्थिरता में योगदान देने की अधिक संभावना है। हालाँकि, शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक विकास के बीच संबंध जटिल और बहुआयामी है। अकेले शिक्षा सभी सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। इसके लिए स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में पूरक निवेश की आवश्यकता है।

इसके अलावा, शिक्षा का प्रभाव व्यापक आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होता है। वैश्वीकृत दुनिया में, शिक्षा को श्रम बाजार की बदलती मांगों और तकनीकी प्रगति से उत्पन्न चुनौतियों के अनुरूप भी होना चाहिए। महत्वपूर्ण सोच, समस्या-समाधान और डिजिटल साक्षरता सहित 21वीं सदी के कौशल पर जोर, व्यक्तियों को भविष्य के काम के लिए तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का प्रभाव सीखने के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण पर निर्भर है, जिसमें सुरक्षित और सहायक स्कूल वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री तक पहुंच और माता-पिता और समुदायों की भागीदारी शामिल है। शिक्षा के लाभों को अधिकतम करने के लिए बच्चों का शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक कल्याण सहित समग्र विकास आवश्यक है। निष्कर्षतः, मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा की मान्यता समाज को बदलने और सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने की क्षमता रखती है। हालाँकि, इस क्षमता को साकार करने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता, प्रभावी कार्यान्वयन और एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो शिक्षा, अर्थव्यवस्था और समाज के बीच जटिल अंतरसंबंध को संबोधित करता है। शिक्षा का प्रभाव केवल नामांकन दर या साक्षरता स्तर बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देने, व्यक्तियों को सशक्त बनाने और सभी के लिए अधिक न्यायसंगत और समृद्ध भविष्य का निर्माण करने के बारे में है।

आपस में जुड़ी विरासतें, वैश्विक परिप्रेक्ष्य और विकासात्मक अनिवार्यताएँ

भारत में प्राथमिक शिक्षा नीतियों का ऐतिहासिक विकास औपनिवेशिक विरासतों, स्वतंत्रता के बाद की आकांक्षाओं और लगातार सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों की एक जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाता है। स्थानीय 'गुरुकुल' से राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रणाली तक की यात्रा महत्वपूर्ण मील के पत्थर और स्थायी बाधाओं से भरी हुई है। शिक्षा के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण, विविध सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों से आकार लेते हुए, शिक्षा के उद्देश्य और मूल्य पर कई प्रकार के दृष्टिकोण प्रकट करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति के चालक

के रूप में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, साथ ही सभी के लिए समान पहुंच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की चुनौतियों को भी रेखांकित करते हैं। आरटीई अधिनियम में निहित मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा की मान्यता का भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षा व्यक्तियों को सशक्त बनाती है, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है, और आर्थिक विकास और सामाजिक एकजुटता में योगदान देती है। हालाँकि, शिक्षा की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए निरंतर निवेश, प्रभावी कार्यान्वयन और एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो शिक्षा, अर्थव्यवस्था और समाज के बीच जटिल अंतरसंबंध को संबोधित करता है। शिक्षा का प्रभाव केवल नामांकन दर या साक्षरता स्तर बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देने, व्यक्तियों को सशक्त बनाने और अधिक न्यायसंगत और समृद्ध भविष्य के निर्माण के बारे में है। बुनियादी ढाँचे की कमी, शिक्षकों की कमी और सामाजिक असमानताओं की लगातार चुनौतियाँ शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। शिक्षा पर वैश्विक चर्चा तेजी से 21वीं सदी के कौशल के महत्व पर जोर दे रही है, जिसमें महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मकता और सहयोग के साथ-साथ तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता भी शामिल है।

तेजी से बदलती दुनिया में, शिक्षा को श्रम बाजार की उभरती मांगों और सतत विकास की चुनौतियों के अनुरूप होना चाहिए। शिक्षा का प्रभाव व्यापक आर्थिक और राजनीतिक कारकों से भी प्रभावित होता है, जो स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में पूरक निवेश की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। शिक्षा के लाभों को अधिकतम करने के लिए सुरक्षित और सहायक स्कूल वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री तक पहुंच और माता-पिता और समुदायों की भागीदारी सहित सीखने के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण आवश्यक है। बच्चों का समग्र विकास, जिसमें उनकी शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक भलाई शामिल है, यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि वे शिक्षा में पूरी तरह से भाग ले सकें और उससे लाभ उठा सकें। इतिहास की परस्पर जुड़ी विरासतें, वैश्विक दृष्टिकोण के विविध दृष्टिकोण और सामाजिक-आर्थिक विकास की अनिवार्यता व्यक्तियों और समाजों के भविष्य को आकार देने में शिक्षा के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित करती है। सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में यात्रा एक सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए निरंतर प्रतिबद्धता, सहयोगात्मक प्रयासों और अधिक न्यायसंगत और न्यायसंगत दुनिया की साझा दृष्टि की आवश्यकता होती है।

3. अनुसंधान पद्धति

यह अध्ययन प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार के संबंध में छात्रों और अभिभावकों के दृष्टिकोण का व्यापक विश्लेषण करने के लिए एक मजबूत मिश्रित-पद्धति दृष्टिकोण अपनाता है। केवल मात्रात्मक या गुणात्मक तरीकों पर निर्भर रहने

की सीमाओं को पहचानते हुए, यह डिज़ाइन सूक्ष्म समझ प्राप्त करने के लिए रणनीतिक रूप से दोनों प्रतिमानों को एकीकृत करता है। मात्रात्मक घटक, लिकर्ट स्केल प्रश्नों के साथ संरचित सर्वेक्षणों का उपयोग करते हुए, 800 उत्तरदाताओं (400 छात्रों और 400 अभिभावकों, शहरी और ग्रामीण सेटिंग्स में समान रूप से वितरित) के एक बड़े नमूने में विशिष्ट दृष्टिकोण की व्यापकता और तीव्रता को मापना है। सर्वेक्षण जागरूकता, पहुंच, कथित बाधाओं और सरकारी नीतियों के प्रभाव का आकलन करेंगे। सांख्यिकीय विश्लेषण, एसपीएसएस और एमएस एक्सेल जैसे उपकरणों को नियोजित करते हुए, महत्वपूर्ण पैटर्न और सहसंबंधों की पहचान करने के लिए वर्णनात्मक आंकड़े (माध्य, मानक विचलन, प्रतिशत), अनुमानित आंकड़े (ची-स्क्वायर परीक्षण, टी-टेस्ट, एनोवा), और प्रतिगमन विश्लेषण शामिल होंगे। इसे लागू करते हुए, गुणात्मक घटक प्रतिभागियों के व्यक्तिपरक अनुभवों और प्रासंगिक समझ पर प्रकाश डालता है।

छात्रों और अभिभावकों के लिए अलग-अलग सत्रों (प्रत्येक समूह में चार समूह, प्रति समूह 8-10 प्रतिभागी) के साथ अर्ध-संरचित साक्षात्कार और फोकस समूह चर्चा (एफजीडी), समृद्ध, कथात्मक डेटा प्रदान करेंगे। ये गुणात्मक विधियां सरकारी नीतियों, सामर्थ्य, बुनियादी ढांचे और शिक्षा की गुणवत्ता की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा प्रणाली के संबंध में व्यक्तिगत अनुभवों, राय और अपेक्षाओं का पता लगाएंगी। यह दोहरा दृष्टिकोण एक समग्र जांच सुनिश्चित करता है, जो मापने योग्य रुझानों और उन रुझानों को आकार देने वाले अंतर्निहित कारणों दोनों को पकड़ता है।

नमूनाकरण, डेटा संग्रह और विश्लेषण:

विविधता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, अध्ययन शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से प्रतिभागियों का चयन करते हुए एक स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण तकनीक का उपयोग करता है। लक्षित जनसंख्या में 6-12 आयु वर्ग (कक्षा 1-5) के छात्र और 25-50 आयु वर्ग के उनके माता-पिता शामिल हैं, प्रत्येक समूह के भीतर एक संतुलित लिंग वितरण (50% पुरुष, 50% महिला) है। यह स्तरीकरण विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक पृष्ठभूमियों में दृष्टिकोण के तुलनात्मक विश्लेषण की अनुमति देता है। डेटा संग्रह सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए कई तरीकों का उपयोग करेगा। लिकर्ट स्केल का उपयोग करते हुए संरचित प्रश्नावली, छात्रों और अभिभावकों को उनके दृष्टिकोण पर मात्रात्मक डेटा इकट्ठा करने के लिए वितरित की जाएगी। अर्ध-संरचित साक्षात्कार व्यक्तिगत अनुभवों और राय में विस्तृत गुणात्मक अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे।

फोकस समूह चर्चा से साझा दृष्टिकोणों की खोज और सामान्य विषयों की पहचान में आसानी होगी। उपयुक्त उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके डेटा विश्लेषण किया जाएगा। मात्रात्मक डेटा का विश्लेषण एसपीएसएस और एमएस एक्सेल का उपयोग करके किया जाएगा, पैटर्न और रिश्तों की पहचान करने के लिए वर्णनात्मक और अनुमानात्मक आंकड़ों को नियोजित किया जाएगा। एनवीवो सॉफ्टवेयर का उपयोग करके गुणात्मक डेटा का विश्लेषण किया जाएगा, आवर्ती विषयों की पहचान करने के लिए विषयगत विश्लेषण और ओपन-एंडेड प्रतिक्रियाओं को वर्गीकृत करने के लिए

सामग्री विश्लेषण का उपयोग किया जाएगा। नमूनाकरण, डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिए यह कठोर दृष्टिकोण अध्ययन के निष्कर्षों की वैधता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है, प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के प्रति छात्रों और अभिभावकों के दृष्टिकोण की व्यापक समझ प्रदान करता है।

संख्यात्मक विश्लेषण एवं व्याख्या

तालिका 1: एक अधिकार के रूप में शिक्षा की शहरी और ग्रामीण धारणाओं का तुलनात्मक विश्लेषण

कारक	**शहरी छात्र (%)**	**ग्रामीण छात्र (%)**	**शहरी माता-पिता (%)**	**ग्रामीण माता-पिता (%)**
एक अधिकार के रूप में शिक्षा के प्रति जागरूकता	85%	60%	90%	65%
सरकारी भूमिका में विश्वास	78%	55%	82%	60%
एक बाधा के रूप में वित्तीय बाधाएँ	40%	75%	50%	80%
इन्फ्रास्ट्रक्चर से संतुष्टि	70%	40%	68%	38%

तालिका 1 एक अधिकार के रूप में शिक्षा की शहरी और ग्रामीण धारणाओं के बीच भारी असमानता को उजागर करती है। शहरी छात्र और अभिभावक अपने ग्रामीण समकक्षों (60% और 65%) की तुलना में मौलिक अधिकार (क्रमशः 85% और 90%) के रूप में शिक्षा के प्रति काफी अधिक जागरूकता प्रदर्शित करते हैं। यह सूचना प्रसार में संभावित अंतर या इन क्षेत्रों के बीच शिक्षा अधिकारों पर सांस्कृतिक जोर में अंतर का सुझाव देता है। इसी तरह, शहरी उत्तरदाताओं ने शिक्षा में सरकार की भूमिका पर अधिक विश्वास व्यक्त किया (78% छात्र, 82% माता-पिता बनाम 55% छात्र, ग्रामीण क्षेत्रों में 60% माता-पिता), जो शहरी सेटिंग्स में सरकारी पहलों के उच्च स्तर के विश्वास या अनुमानित प्रभावकारिता का संकेत देते हैं। विशेष रूप से, शहरी क्षेत्रों (40% छात्र, 50% माता-पिता) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (75% छात्र, 80% माता-पिता) में वित्तीय बाधाओं को अधिक महत्वपूर्ण बाधा माना जाता है, जो ग्रामीण समुदायों में प्रचलित आर्थिक कमजोरियों को दर्शाता है। बुनियादी ढांचे से संतुष्टि में पर्याप्त अंतर (70% शहरी छात्र, 68% शहरी माता-पिता बनाम 40% ग्रामीण छात्र, 38% ग्रामीण माता-पिता) शहरी और ग्रामीण स्कूलों के बीच संसाधन असमानताओं को रेखांकित करता है।

तालिका 2: प्रेरणा और शैक्षिक आकांक्षाओं पर निःशुल्क शिक्षा नीतियों का प्रभाव

कथन	**शहरी छात्र (%)**	**ग्रामीण छात्र (%)**	**शहरी माता-पिता (%)**	**ग्रामीण माता-पिता (%)**

शिक्षा एक अधिकार है और यह सभी के लिए निःशुल्क होनी चाहिए	88%	62%	92%	68%
शिक्षा एक विशेषाधिकार है, जो पारिवारिक आय पर निर्भर है	12%	38%	8%	32%
सरकार को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए	85%	60%	90%	65%
बेहतर गुणवत्ता के लिए स्कूलों का निजीकरण किया जाना चाहिए	25%	45%	30%	50%

तालिका 2 प्रेरणा और आकांक्षाओं पर मुफ्त शिक्षा नीतियों के प्रभाव का विवरण देती है। शहरी और ग्रामीण दोनों समूहों में एक मजबूत आम सहमति इस बात की पुष्टि करती है कि शिक्षा एक अधिकार है और सभी के लिए मुफ्त होनी चाहिए, शहरी उत्तरदाताओं ने थोड़ी अधिक सहमति दिखाई। हालाँकि, विरोधी दृष्टिकोण, कि शिक्षा पारिवारिक आय पर निर्भर एक विशेषाधिकार है, ग्रामीण क्षेत्रों (38% छात्र, 32% माता-पिता) में काफी अधिक प्रचलित है, जो इन समुदायों के भीतर शिक्षा में आर्थिक नियतिवाद की अधिक स्वीकृति का सुझाव देता है। यह धारणा कि सरकार को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, शिक्षा के अधिकार की धारणा के साथ निकटता से मेल खाती है, फिर से शहरी उत्तरदाताओं ने थोड़ी अधिक सहमति दिखाई है। दिलचस्प बात यह है कि बेहतर गुणवत्ता के लिए स्कूल के निजीकरण को प्राथमिकता शहरी क्षेत्रों (25% छात्र, 30% माता-पिता) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (45% छात्र, 50% माता-पिता) में काफी अधिक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा सार्वजनिक स्कूलों की गुणवत्ता के प्रति संभावित असंतोष और निजीकरण के माध्यम से सुधार की उम्मीद का संकेत देता है। इसका तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी शिक्षा प्रावधानों की प्रभावशीलता में विश्वास की संभावित कमी से भी है।

तालिका 3: छात्रों के शैक्षिक दृष्टिकोण और परिस्थितियों पर सामाजिक-आर्थिक कारकों का प्रभाव

कारक	**शहरी छात्र (%)**	**ग्रामीण छात्र (%)**	**शहरी माता-पिता (%)**	**ग्रामीण माता-पिता (%)**
निःशुल्क स्कूली शिक्षा के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त	82%	55%	88%	58%

ISSN 2277-2685
IJESR/April-June. 2021/ Vol-11/Issue-2/92-107
निरंकार राम त्रिपाठी *et. al.,* / International Journal of Engineering & Science Research

करने के लिए प्रेरित हुए				
अगर शिक्षा मुफ़्त न होती तो पढ़ाई छोड़ देते	30%	70%	25%	72%
विश्वास रखें कि निःशुल्क शिक्षा से करियर के अवसर बेहतर होते हैं	80%	50%	85%	55%
मुफ़्त शिक्षा नीतियाँ छात्रों को पढ़ाई के प्रति कम गंभीर बनाती हैं	22%	35%	25%	40%

तालिका 4: शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ

सामाजिक-आर्थिक कारक	**शहरी (%)**	**ग्रामीण (%)**
घरेलू आय गरीबी रेखा से नीचे	15%	60%
माता-पिता की शिक्षा का स्तर: कोई औपचारिक शिक्षा नहीं	10%	55%
परिवार का समर्थन करने के लिए अंशकालिक काम करने वाले छात्र	5%	45%
घर से निकटतम विद्यालय की दूरी (>5 किमी)	8%	50%

तालिका 3 छात्रों के दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक कारकों की जांच करती है। मुफ़्त स्कूली शिक्षा के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा में एक महत्वपूर्ण अंतर देखा गया है, शहरी छात्रों और अभिभावकों में काफी अधिक दर (82% छात्र, 88% माता-पिता बनाम 55% छात्र, ग्रामीण क्षेत्रों में 58% माता-पिता) दिखाई दे रहे हैं। यह उच्च शिक्षा के अवसरों तक अधिक पहुंच और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के दीर्घकालिक लाभों में मजबूत विश्वास को प्रतिबिंबित कर सकता है। शहरी क्षेत्रों (30% छात्र, 25% माता-पिता) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (70% छात्र, 72% माता-पिता) में शिक्षा मुफ्त नहीं होने पर पढ़ाई छोड़ने का डर काफी अधिक है, जो ग्रामीण परिवारों की आर्थिक कमजोरी और मुफ्त शिक्षा पर उनकी निर्भरता को उजागर करता है। यह धारणा कि मुफ्त शिक्षा करियर के अवसरों में सुधार करती है, शहरी क्षेत्रों में उच्च दर के साथ एक समान पैटर्न का अनुसरण करती है। इसके विपरीत, तालिका 4 में यह धारणा है कि मुफ्त शिक्षा नीतियां छात्रों को पढ़ाई के प्रति कम गंभीर बनाती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में यह थोड़ी अधिक है, जो छात्र प्रेरणा और जवाबदेही के बारे में संभावित चिंताओं का सुझाव देती है। तालिका के निचले भाग में अतिरिक्त सामाजिक-आर्थिक डेटा शहरी और ग्रामीण

सेटिंग्स के बीच भारी असमानता की पुष्टि करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे घरेलू आय (60% बनाम 15%), बिना औपचारिक शिक्षा वाले माता-पिता (55% बनाम 10%), अंशकालिक काम करने वाले छात्र (45% बनाम 5%), और घर से स्कूल की दूरी (>5 किमी) (50% बनाम 8%) की उच्च दर प्रदर्शित होती है, जो ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का ठोस सबूत प्रदान करती है।

संक्षेप में, तालिकाएँ सामूहिक रूप से धारणाओं, दृष्टिकोण और शिक्षा तक पहुंच में एक स्पष्ट शहरी-ग्रामीण विभाजन को प्रकट करती हैं। शहरी उत्तरदाताओं ने लगातार शिक्षा अधिकारों के बारे में उच्च जागरूकता, सरकारी भूमिकाओं में अधिक आत्मविश्वास और मुफ्त शिक्षा नीतियों के लाभों में मजबूत विश्वास प्रदर्शित किया है। आर्थिक बाधाओं और बुनियादी ढाँचे की कमियों के बोझ तले दबे ग्रामीण उत्तरदाताओं ने वित्तीय बाधाओं के प्रति अधिक संवेदनशीलता, निजीकरण के लिए अधिक प्राथमिकता और शैक्षिक अवसरों के बारे में अधिक निराशावादी दृष्टिकोण प्रदर्शित किया है। डेटा दृढ़ता से सुझाव देता है कि सामाजिक-आर्थिक कारक शैक्षिक दृष्टिकोण और परिणामों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ग्रामीण समुदायों को महत्वपूर्ण नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

4. निष्कर्ष

इस अध्ययन के निष्कर्ष मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण शहरी-ग्रामीण विभाजन का ठोस सबूत प्रदान करते हैं। शहरी छात्र और अभिभावक शैक्षिक अधिकारों के बारे में अधिक जागरूकता, शिक्षा में सरकार की भूमिका में एक मजबूत विश्वास और मुफ्त शिक्षा नीतियों के लाभों के बारे में अधिक आशावादी दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हैं। इसके विपरीत, ग्रामीण उत्तरदाताओं को पर्याप्त सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें वित्तीय बाधाएं, संसाधनों तक सीमित पहुंच और माता-पिता की शिक्षा का निम्न स्तर शामिल है, जो उनकी शैक्षिक धारणाओं और अवसरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। अध्ययन इन असमानताओं को दूर करने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों और नीतिगत सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, शिक्षकों की उपलब्धता में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इसके अलावा, शैक्षिक अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने से शहरी और ग्रामीण शैक्षिक परिणामों के बीच अंतर को पाटने में मदद मिल सकती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी तंत्र का कार्यान्वयन और समुदाय-संचालित पहल की भागीदारी आवश्यक है। अंततः, शैक्षिक समानता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकारी एजेंसियों, शैक्षिक संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों के एक ठोस प्रयास की आवश्यकता होती है

ताकि प्रत्येक बच्चे के लिए प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में बनाए रखा जा सके, भले ही उनकी भौगोलिक स्थिति या सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो।

संदर्भ

1. ए. खान, और ज़ेड. अहमद, "ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने में समुदाय-संचालित पहल की प्रभावशीलता," *सामुदायिक विकास जर्नल,* वॉल्यूम। 56, नहीं. 1, पृ. 88-103, 2020.
2. डी. वर्मा, और पी. तिवारी, "डिजिटल डिवाइड और शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच: सुदूर गांवों में प्राथमिक विद्यालयों का एक अध्ययन," *विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी,* वॉल्यूम। 27, नहीं. 4, पृ. 550-565, 2020.
3. एन. मिश्रा, और जे. शर्मा, "प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर माता-पिता की शिक्षा के स्तर का प्रभाव," *शैक्षिक मनोविज्ञान जर्नल,* वॉल्यूम। 112, नहीं. 6, पृ. 1320-1335, 2020.
4. जी. दास, और एच. सेन, "शिक्षा के अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मीडिया की भूमिका का विश्लेषण," *संचार अध्ययन जर्नल,* वॉल्यूम। 8, नहीं. 2, पीपी. 210-225, 2019.
5. बी. कुमार, और एस. सिंह, "निजी बनाम सार्वजनिक स्कूली शिक्षा: शहरी भारत में माता-पिता की प्राथमिकताएँ और धारणाएँ," *शिक्षा और शहरी समाज,* वॉल्यूम। 51, नहीं. 8, पीपी 1080-1095, 2019।
6. सी. यादव, और आर. सिंह, "प्राथमिक शिक्षा में लैंगिक असमानताएँ: चुनौतियाँ और नीति अनुशंसाएँ," *लिंग और शिक्षा,* वॉल्यूम। 31, नहीं. 7, पीपी. 900-915, 2019.
7. ई. गुप्ता, और के. वर्मा, "भारत में प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच पर जाति और धर्म का प्रभाव," *जातीय और नस्लीय अध्ययन,* वॉल्यूम। 42, नहीं. 5, पीपी. 780-795, 2019।
8. एफ. पटेल, और एम. शाह, "प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण और विकास: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ाना," *शिक्षक शिक्षा जर्नल,* वॉल्यूम। 70, नहीं. 3, पीपी. 280-295, 2018.
9. जी. शर्मा, और एल. कुमार, "प्राथमिक विद्यालय में उपस्थिति पर मध्याह्न भोजन योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण," *खाद्य नीति,* वॉल्यूम। 78, पीपी 120-135, 2018।
10. एच. राव, और एस. रेड्डी, "सीमांत समुदायों में प्राथमिक शिक्षा के समर्थन में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका," *गैर-लाभकारी और स्वैच्छिक क्षेत्र त्रैमासिक,* वॉल्यूम। 47, नहीं. 2, पीपी. 350-365, 2018.
11. आई. देसाई, और ए. जोशी, "ग्रामीण भारत में प्राथमिक शिक्षा अवसंरचना का आकलन: एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) दृष्टिकोण," *अनुप्रयुक्त भूगोल,* वॉल्यूम। 90, पीपी. 200-215, 2018.

12. जे. सेन, और एन. बनर्जी, "प्रारंभिक बचपन की शिक्षा और विकास पर सामाजिक-आर्थिक स्थिति का प्रभाव," *प्रारंभिक बचपन अनुसंधान त्रैमासिक*, वॉल्यूम। 42, पीपी. 150-165, 2018.

13. के. मेहता, और पी. शर्मा, "सरकारी नीतियों का मूल्यांकन और प्राथमिक शिक्षा नामांकन पर उनका प्रभाव," *नीति विज्ञान*, वॉल्यूम। 50, नहीं. 4, पीपी. 520-535, 2017.

14. एल. तिवारी, और आर. गुप्ता, "प्राथमिक शिक्षा में माता-पिता की भागीदारी का महत्व: एक क्रॉस-अनुभागीय अध्ययन," *स्कूल कम्युनिटी जर्नल*, वॉल्यूम। 27, नहीं. 1, पृ. 100-115, 2017.